

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
समस्तीपुर।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, दलसिंहसराय।

पटना, दिनांक- 22/6/18

विषय:- नगर पंचायत, दलसिंहसराय अन्तर्गत 02 (दो) योजनाओं के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंहसराय का पत्रांक-1217 दिनांक-18.06.2018
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित निम्न 02 (दो) योजनाओं का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है।
प्राक्कलनों के जाँचोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹ लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹ लाख में)	अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹0 में)
1.	नगर पंचायत, दलसिंहसराय अन्तर्गत Construction of R.C.C Drain from Mhendra Ray to Sahay Sah Thakur bari in ward no.-1	97.248 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-159 दिनांक-27.03.2018)	95.41	94,46,497 / -
2.	नगर पंचायत, दलसिंहसराय अन्तर्गत Construction of R.C.C Drain from Sahay Sah Thakurbari to Mushari Chowk, Nagar Panchayat Border Via Panchayat Samiti Bhavan in Ward No-1 and 5	90.015 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-159 दिनांक-27.03.2018)	89.751	88,86,288 / -

अतः उक्त दोनों योजनाओं के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदित कर एक-एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन




अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।



बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- नगर पंचायत, दलसिंहसराय अन्तर्गत Construction of R.C.C Drain from Sahay Sah Thakurbari to Mushari Chowk, Nagar Panchayat Border Via Panchayat Samiti Bhavan in Ward No-1 and 5
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 90,01,500 /-(नब्बै लाख एक हजार पाँच सौ) रूपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-159 दिनांक-27.03.2018
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 89,75,100 /-(नब्बासी लाख पचहत्तर हजार एक सौ)रूपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xii) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।



अधीक्षण अभियंता


बिहार शहरी विकास अभिकरण

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैधिक टिप्पणी

- 1 योजना का नाम :- नगर पंचायत, दलसिंहसराय अन्तर्गत Construction of R.C.C Drain from Mhendra Ray to Sahay Sah Thakur bari in ward no.-1।
- 2 प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग :- 97,24,800 /--(संतानवे लाख चौबीस हजार आठ सौ) रूपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक-159 दिनांक-27.03.2018
- 3 तकनीकी स्वीकृति की राशि:- 95,41,000 /--(पंचानवे लाख इकतालीस हजार)रूपये मात्र
- 4 (i) कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।
(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसूस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।
(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबंधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।
(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेंगे।
(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।
(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेंगे।
(viii) गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय-समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।
(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेंगे तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देंगे।
(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (level) सटे मकानों के पीलीथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेंगे।
(xii) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/SAIL/Ispaat Nigam/Vizaag Steel Make का होना चाहिए।
(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।


अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।